न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : सुश्री नेहा राजपूत (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 94/2025

गौरव जैन पुत्र श्री नरपतमल जैन जाति जैन आयु लगभग 45 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान

—वादी

बनाम

1. मोती पुत्र श्री नोरत, जाति गुर्जर, बालिग
2. हीरा पुत्र श्री नोरत, जाति गुर्जर, बालिग
3. भागचन्द पुत्र श्री नोरत, जाति गुर्जर, बालिग

सर्व निवासीगण ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक: 07/5/26

उपस्थितः श्री गणेश प्रजापति वादीगण अभिभाषक

श्री महावीर मालाकार प्रतिवादीगण अभिभाषक

1. संक्षेप में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश प्रजापति द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 183 राज.का.अधि. के तहत पेश किया गया। वाद में वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खुदकाश्त खातेदारी की कृषि आराजी वाकै राजस्व ग्राम बड़गांव, पटवार हल्का बड़गांव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 65, पुराना 58 खसरा संख्या 359/35 रकबा 1.6018 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 365/37 रकबा 1.2378 हैक्टेयर स्थित है। वादी की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का ही विधिक स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार चला आ रहा है जिसके उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने, उसमें अतिक्रमण करने, कब्जा करके कच्चा पक्का निर्माण करने, का किसी भी व्यक्ति / संस्था को कानूनन् अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी की आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को किसी भी प्रकार से कब्जा करने, अवैध निर्माण करने, अतिक्रमण करने आदि का कोई भी विधिक अधिकार नहीं है वादी की उक्त कृषि भूमि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य व खुदकाश्त, खातेदारी की है। वादी की खसरा नम्बर 359/35, 365/37 की भूमि के पास में ही दक्षिण दिशा की तरफ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की खसरा संख्या 360/35, 366/37, 367/37 की भूमि स्थित है तथा उक्त भूमि की आड़ में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपनी सीमा की भूमि से 139 फीट वादी की भूमि में घुसकर जबरन कब्जा कर लिया है जब कि वादी की खसरा नम्बर 359/35 व खसरा नम्बर 365/37 की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में दक्षिण दिशा की तरफ से अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उक्त वादी हेतु न्यायहित में अति आवश्यक है इसलिए यह वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी के कब्जे काश्त खातेदारी के खसरा नम्बर 359/35, 365/37 की भूमि के दक्षिण दिशा में प्रतिवादीगण द्वारा वादी की सीमा में प्रवेश कर 139 फीट अन्दर की तरफ जबरन दिनांक 01.05.2025 को कब्जा / अतिचार किया गया है जिसको वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में सुर्ख लाल रंग से दर्शाया गया है जो नजरी नक्शा वाद पत्र का भाग है तथा इसको वाद पत्र के साथ पढ़ा जावे व इसका ही एक अंग माना जावें। वादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्वाधिकार की होने से मुख्ता प्रमाण अपने वाद पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है।वाद कारण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

दिनांक 01.05.2025 को वादी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में किये जा रहे पत्थरगढ़ी के कार्य में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा नजरी नक्शे में वर्णित स्थान पर वादी की खातेदारी की भूमि में कब्जा करने से उत्पन्न होकर आज दिन तक सतत् जारी है। इसलिए प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की खातेदारी की कृषि भूमि में अतिचार व पक्का निर्माण को तुड़वा कर उनके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही किये जाने से वाद कारण सतत् रूप से जारी है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के खसरा संख्या 359/35 व 365/37 की भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ से नजरी नक्शे में वर्णितानुसार वादी भूमि पर 139 फीट अन्दर की तरफ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा किये गये अतिचार, पक्के निर्माण आदि को प्रतिवादीगण /अतिचारियों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करके हटवाये जाने, बेदखल करने के आदेशात्मक आदेश की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

2. वादी का वाद दिनांक 22.05.2025 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील श्री महावीर मालाकार उपसंजात हुये तथा वाद में दिनांक 17.03.2026 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से सहमति जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बड़गांव स्थित खसरा संख्या 359/35 व 365/37 जिसका खातेदार वादी गौरव जैन है। और इसी भूमि के पास खसरा नम्बर 360/35 व खसरा नम्बर 366/37 जिसके खातेदार प्रतिवादी मोती व हीरा है। प्रतिवादी मोती व हीरा व भाग चन्द उक्त प्रकरण का इस प्रकार निस्तारण चाहते है कि गौरव जैन की खातेदारी भूमि पर यदि नाप चौप के दौरान किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण का अतिक्रमण पाया जाता है तो प्रतिवादीगण द्वारा पड़ोसी खातेदार मौके से अतिक्रमण मुक्त कर देगे कब्जा गौरव जैन को संभला देगे। यदि इस बाबत हम प्रतिवादीगण द्वारा अड़चन की जाती है तो न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। निवेदन है कि प्रकरण का उक्त प्रकार से निस्तारण कर पत्रावली निस्तारण करने की कृपा करावे।

3. हमारे द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद, संलग्न दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाबदावा एवं वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी ग्राम बडगांव खसरा संख्या 359/35 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365/37 रकबा 1.2378 हैक्टेयर में वादी खातेदार है तथा पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा पत्थरगढी आदेश में दिनांक 01.05.2025 को हल्का पटवारी एवं हल्का गिरदावर द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है जिसमें उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा का अंकन किया गया है, प्रतिवादीगण द्वारा भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के आंशिक भाग पर उनका कब्जा नही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद, संलग्न दस्तावेज, वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाबदावे के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 राज.काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बडगांव स्थित खसरा संख्या 359/35 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365/37 रकबा 1.2378 हैक्टेयर में स्वयं की मौजूदगी में दो गिरदावर एवं तीन पटवारी की टीम का गठन कर, वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 के अनुसार पुनः सीमाज्ञान करें तथा वादी की भूमि खसरा संख्या 359/35 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365/37 रकबा 1.2378 हैक्टेयर में स्थित अतिक्रमी को बेदखल किया जावे तथा किये गये अतिक्रमण, कब्जे को हटवाकर वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को दिलवाने की कार्यवाही करें। वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को दिया जाकर मौका पर्चा में उल्लेख करते हुये अतिक्रमी को बेदखल कर दिया जावे।

4. तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। आदेश आज दिनांक 07/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	
	C.NO. 94/2015 गौरव v/s मोती	
07/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. वकील उभयपक्ष को सुन वाद पर सुना गया। प्रतिपक्षीगण द्वारा वाद मे राजीनामा पेश किया जा चुका है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकण कर पत्रावली मे शामिल किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Rajput उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	मोती डी.सी. भागवत 17/3/2025